राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.12(3)वित्त/नियम/2021 जयपुर, दिनांक : 02 FEB 2022

स्पष्टीकरण

विषय : राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 7 एवं 90 में संशोधन के संबंध में।

संदर्भ : वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2021 दिनांक 12.10.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.10.2021 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 7 एवं 90 से इन नियमों में संशोधन कर "प्रोविजनल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी" का प्रावधान किया गया था। यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से लागू होने से वित्त विभाग को मार्गदर्शन हेतु प्रकरण संदर्भित हो रहे है कि क्या ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्ध विभागीय/न्यायिक कार्रवाई विचाराधीन है और वह सेवानिवृत हो गये है, क्या उन्हें भी "प्रोविजनल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी" देय है ?

इस संबंध में समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.10.2021 की निरन्तरता में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अधिसूचना दिनांक 12.10.2021 से पूर्व सेवानिवृत उन सभी कार्मिकों पर भी लागू होगी, जिनको सेवानिवृति के समय उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही/न्यायिक कार्यवाही होने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 7 एवं 90 के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हुआ है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

2.2.22

(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(Pension 02 / 2022)